

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

पत्रांक - वि० प्रा० (I) आरोप-03 / 2016-

पटना, दिनांक -

श्री विन्देश्वर मिश्र अरुण, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, दरभंगा का दिनांक-17.08.2016 को निगरानी विभाग द्वारा गठित धावादल के द्वारा रिश्वत लेते हुए राम शाहों पकड़ा गया एवं इन्हें अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया। निगरानी थाना कांड संख्या-077/2016 दिनांक-17.08.2016 से इनके विरुद्ध अपराधिक मामला दायर कर अन्वेषण किया जा रहा है। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-IV नियम-9 (1) (ग) तह परित नियम-9 (2) (क) के आलोक में श्री विन्देश्वर मिश्र अरुण, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, दरभंगा को दिनांक-17.08.2016 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में श्री विन्देश्वर मिश्र अरुण को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता का मुग्जान किया जाएगा।
3. निलंबन की अवधि में श्री विन्देश्वर मिश्र अरुण का मुख्यालय राजकीय पोलिटेक्निक, रामरसा, देखा।

बिहार राज्यपाल के आदेश रो,

ह०/-
उप रायिक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक वि० प्रा० (I) आरोप-03 / 2016 -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय गुलारवाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-
उप रायिक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक -- वि० प्रा० (I) आरोप--03 / 2016-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - महालेखाकार बिहार/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उप रायिक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – विं प्रा० (I) आरोप–०३/२०१६– २५५० पटना, दिनांक – २९/९/२०१६

प्रतिलिपि – श्री विन्देश्वर मिश्र अरुण, प्रभारी प्राचार्य (निलंबित) राजकीय पोलिटेक्निक, दरभंगा/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक रास्थान/सविव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/परियोजना निदेशक, बी० सी० एस० टी०, पटना एवं विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशास्त्रा पदाधिकारी/सहायकों को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२९/९/१६
उप सविव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

४४/२०/९/१६